# निदेशालय विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड,

**23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।**

पत्रांकः 271504 / नि0वि0ले0 / ले0सं0अधि0 / स0लेखा0–स्था0 / 2024–25 दिनांक 20 अप्रैल 2026

**कार्यालय–ज्ञाप**

उत्तराखण्ड सरकार की अधिसूचना सं0–12 / XXXVI(3) / 2018 / 20(1) / 2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा पत्र के साथ संलग्न राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु शासन द्वारा ''उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या–1 वर्ष 2018)'' में दिये गये उपबन्धों के आधार पर वार्षिक स्थानान्तरण की कार्यवाही गतिमान है। उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–102 / XXX(2)/16/30(13)/2017 दिनांक 14 अप्रैल 2018 के कम में निदेशालय के कार्यालय–ज्ञाप सं0 166930 / नि0वि0ले0 / ले0सं0अधि0 / स0लेखा0–स्था0 / 2024–25 दिनांक 19 अप्रैल 2025 एवं संशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0 171927 / नि0वि0ले0 / ले0सं0अधि0 / स0लेखा0–स्था0 / 2024–25 दिनांक 08 मई 2025 एवं संशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0 201575 / नि0वि0ले0 / ले0सं0अधि0 / स0लेखा0–स्था0 / 2024–25 दिनांक 19 अगस्त 2025 द्वारा निदेशालय, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड के नियंत्रणाधीन विभिन्न विभागों में तैनात सहायक लेखाकार एवं लेखाकार के स्वीकृत पद जिन स्थानों में स्वीकृत हैं को सुगम व दुर्गम में चिन्हीकरण किया गया है। तत्कम में लेखाकारों के पदों पर तैनात कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण के प्रयोजनार्थ उपलब्ध रिक्तियों एवं सम्भावित रिक्तियों तथा अनिवार्य हेतु पात्र कार्मिकों की सूची निदेशालय द्वारा जारी की गयी है।

अधिनियम की धारा–9 व 12 के अनुसार सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की सीमा में पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 दुर्गम (सुगम से दुर्गम स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को) एवं सुगम (दुर्गम से सुगम स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को) स्थानों, जहां वे तैनाती के इच्छुक हों, के लिए विकल्प मांगे जाने की व्यवस्था है।

अतः निदेशालय द्वारा जारी पात्रता सूची के अनुसार सुगम क्षेत्र में तैनात कार्मिक दुर्गम क्षेत्र में रिक्तियों / सम्भावित रिक्त पदों पर तथा दुर्गम क्षेत्र में तैनात कार्मिक सुगम क्षेत्र में रिक्तियों / सम्भावित रिक्त पदों पर स्थानान्तरण हेतु अपना विकल्प अधिकतम 10 स्थान, जहां तैनाती के इच्छुक हों प्राथमिकता कम में दिनांक 15 मई 2026 से पूर्व अनिवार्य रूप से इस निदेशालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
Ganga Prasad
Date: 20-04-2026
11:31:39
(गंगा प्रसाद)
निदेशक

**पत्रांक व दिनांक उपराक्तानुसार।**

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. - सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. - समस्त सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष।
3. - समस्त सम्बन्धित लेखाकार।
4. - विभागीय वेब साईट में अपलोड करने हेतु।

ह0 / –
(गंगा प्रसाद)
निदेशक



File No. /नि0वि0ले0/ले0सं0अधि0/स0लेखा0-स्था0/2024-25 (Computer No. 113119)
Generated from eOffice by Tarun Badoni, accountantt, ACCOUNTANT, DEPARTMENTAL ACC DIRECTORATE on 20/04/2026 12:20 pm

# निदेशालय विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड,

## 23—लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

पत्रांकः 271506 / नि0वि0ले0 / ले0सं0अधि0 / स0लेखा0—स्था0 / 2024—25 दिनांक 20 अप्रैल 2026

### कार्यालय—ज्ञाप

उत्तराखण्ड सरकार की अधिसूचना सं0—12 / XXXVI(3) / 2018 / 20(1) / 2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा पत्र के साथ संलग्न राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु शासन द्वारा ''उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या—1 वर्ष 2018)'' में दिये गये उपबन्धों के आधार पर वार्षिक स्थानान्तरण की कार्यवाही गतिमान है। उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग—2 के शासनादेश सं0—102 / XXX(2)/16/30(13)/2017 दिनांक 14 अप्रैल 2018 के क्रम में निदेशालय के कार्यालय—ज्ञाप सं0 166930 / नि0वि0ले0 / ले0सं0अधि0 / स0लेखा0—स्था0 / 2024—25 दिनांक 19 अप्रैल 2025 एवं संशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0 171927 / नि0वि0ले0 / ले0सं0अधि0 / स0लेखा0—स्था0 / 2024—25 दिनांक 08 मई 2025 एवं संशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0 201575 / नि0वि0ले0 / ले0सं0अधि0 / स0लेखा0—स्था0 / 2024—25 दिनांक 19 अगस्त 2025 द्वारा निदेशालय, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड के नियंत्रणाधीन विभिन्न विभागों में तैनात सहायक लेखाकार एवं लेखाकार के स्वीकृत पद जिन स्थानों में स्वीकृत हैं को सुगम व दुर्गम में चिन्हीकरण किया गया है। तत्क्रम में सहायक लेखाकार एवं लेखाकार के पदों पर तैनात कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण के प्रयोजनार्थ उपलब्ध रिक्तियों एवं सम्भावित रिक्तियों तथा अनिवार्य हेतु पात्र कार्मिकों की सूची निदेशालय द्वारा जारी की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में अधिनियम—13 में उल्लिखित उपबन्धों के अधीन अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है। अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु अधिनियम में उल्लिखित परिस्थितियों से सम्बन्धित प्रमाणित अभिलेख संलग्न किये जाने अनिवार्य हैं।

Digitally signed by
Ganga Prasad
Date: 20-04-2026
11:33:11

(गंगा प्रसाद)
निदेशक

पत्रांक व दिनांक उपराक्तानुसार।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. - सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. - समस्त सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष।
3. - समस्त सम्बन्धित सहायक लेखाकार / लेखाकार।
4. - विभागीय वेब साईट में अपलोड करने हेतु।

ह0 / —
(गंगा प्रसाद)
निदेशक



File No. /नि0वि0ले0/ले0सं0अधि0/स0लेखा0-स्था0/2024-25 (Computer No. 113119)
Generated from eOffice by Tarun Badoni, accountantt, ACCOUNTANT, DEPARTMENTAL ACC DIRECTORATE on 20/04/2026 12:20 pm